पूरक पत्रक · स्लाइडों के साथ पढ़ने के लिए

मतदान दल का प्रशिक्षण: ज़िला परिषद और पंचायत समिति (MPSV मशीन)

सावधान: यह राज्य निर्वाचन आयोग का दस्तावेज़ नहीं है; न आयोग ने इसे बनाया या जारी किया है, न यह सरकारी तौर पर तैयार हुआ है। यह सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री है। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

यह डेक कैसे पढ़ें

- हर बात के आगे मार्गदर्शिका, MPSV अनुदेश पुस्तिका या आयोग के आदेश का पन्ना लिखा है। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वहाँ यहाँ एक ही नियम लिखा है; स्रोतों में क्या फ़र्क है, यह प्रशिक्षकों के लिए साइट के 'स्रोतों में फ़र्क' पेज पर है।
- डेक की PDF में संदर्भ पर क्लिक करें, तो वह आदेश या पुस्तक उसी पेज पर खुलती है। जिस आदेश की प्रति ऑनलाइन नहीं रखी है, उसका लिंक नहीं है।
- अंतिम बात आयोग के आदेशों और नियमों की है। कोई संशय हो, तो अपने रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए।

स्लाइड के साथ पूरक बातें

स्लाइड 2: चार पद, दो मतदान दिवस

- ध्यान रखिए कि हर चरण में मतदान के दो दिन हैं, और दोनों दिन वोट का तरीका अलग है। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1]

स्लाइड 4: बालोतरा में तारीखें

- वर्तनी: आदेश की स्कैन छपाई में "धोरीमन्ना" नाम "धोरीमन्ना" जैसा दिखता है; आयोग के संकलन के टाइप किए हुए पाठ में यही नाम "धोरीमन्ना" लिखा है। [आदेश 5101, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 15]

स्लाइड 12: मतदाता किस क्रम से गुज़रता है

- तीसरा सहायक मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी के पास बैठता है, ताकि वे कंट्रोल यूनिट और पूरे मतदान पर नज़र रख सकें। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- दल के हर सदस्य को उसका काम मार्गदर्शिका के अध्याय 4 के हिसाब से मतदान अधिकारी बाँटते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113]

स्लाइड 16: काग़ज़ और स्याही भी जाँचिए

- बूथ पर मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र के हस्ताक्षर इन्हीं नमूनों (प्ररूप-8) से मिलाने हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16]

स्लाइड 17: बूथ पर पहुँचकर, मतदान से पहले

- मशीन की तैयारी तय समय से कम से कम एक घंटा पहले शुरू कीजिए; मॉक पोल और सील आगे के स्लाइडों में हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111]

स्लाइड 19: पहचान के दस्तावेज़

- दोनों मार्गदर्शिकाओं के परिशिष्ट में आयोग का आदेश 603 (19.01.2026) छपा है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 204; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 120]
- आयोग के 30.07.2026 के आदेश 5310 ने उसकी जगह ले ली है, इसलिए यह सूची आदेश 5310 से है। [आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1]

स्लाइड 21: पहला सहायक मतदान अधिकारी: चिन्हित प्रति पर निशान लगाइए

- इन्हीं निशानों से मतदान के बाद गिनती होती है, जो मतदान अधिकारी की डायरी और सांख्यिकी सूचना में जाती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25]
- चुनौती के बाद की सारी कार्यवाही मतदान अधिकारी करेंगे। पहचान पक्की हो, तो मतदाता दूसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास जाएगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26]

स्लाइड 23: दूसरा सहायक मतदान अधिकारी: रजिस्टर भरिए, पर्ची दीजिए

- पर्चियाँ बंडल में, बूथ के मतदाताओं की संख्या देखकर दी जाएँगी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95]
- नीली पर्ची किसे दी जाए: MPSV वाले बूथ पर दोनों पर्चियाँ तीसरा सहायक मतदान अधिकारी लेता है; "नीली पर्ची किसे: MPSV वाले बूथ पर" वाली स्लाइड देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95]

स्लाइड 26: मशीन लेते समय जाँचिए

- यहाँ अभ्यास वाला पेज खोलिए: mpsv-abhyas.html, "मशीन को चला के देखिए"। स्क्रीन पर MPSV से अभ्यास: मशीन जाँचिए और जोड़िए, मॉक पोल कीजिए, सील लगाइए, वोट डालकर देखिए और मतदान बंद कीजिए।

स्लाइड 28: मशीन जोड़ने से पहले देख लीजिए

- MPSV मशीन ECIL की बनाई हुई है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33]

स्लाइड 37: मॉक पोल के वोट डलवाइए

- उससे अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट डालने को कहिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35]

स्लाइड 45: पिंक पेपर सील लगाइए

- मज़बूती से बिठाने के लिए पतली कार्डबोर्ड पैडिंग काम में ली जा सकती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38]

स्लाइड 55: मतदान शुरू कीजिए, मतदाता को मशीन तक भेजिए

- कौन-सी उँगली पर स्याही लगती है, यह साझा हिस्से (एक नज़र में, स्याही) में है।

स्लाइड 56: पर्चियाँ रखिए, रजिस्टर वाला क्रम न तोड़िए

- पर्चियाँ कौन लेगा और कौन रखेगा: आगे "पर्चियाँ कौन लेगा और रखेगा" वाली स्लाइड देखिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96]

स्लाइड 65: Busy बत्ती जली रह जाए, और प्ररूप-14 का लेखा

- प्ररूप-14 किस लिफ़ाफ़े में जाता है (PE-54, PE-53, PE-52), यह आगे लिफ़ाफ़ों वाली तालिका में है।

स्लाइड 66: मतदान के बाद मशीन सील कीजिए

- टैग पर मतदान केंद्र का ब्योरा, मतदान अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर, और पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर हों। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103]
- इसके बाद मशीन भंडारण स्थान (STRONG ROOM) तक ले जाने के लिए तैयार है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45]

स्लाइड 70: ये लिफ़ाफ़े सील नहीं होंगे

- PE-57 में: बिना इस्तेमाल हुई मतदाता पर्चियाँ, बिना इस्तेमाल हुए एड्रेस टैग और स्पेशल टैग, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के प्ररूप, मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियाँ (चिन्हित प्रति के अलावा), मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणाएँ और सूची, बिना इस्तेमाल हुई और ख़राब पेपर सीलें और स्ट्रिप सीलें, और बाकी विविध काग़ज़ात। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105]

स्लाइड 71: संग्रहण स्थल पर जमा कीजिए

- काउंटर 3 की पूरी सूची में ये भी हैं: पुस्तिका, ऐरोक्रास मार्क सील, मेटल रूल, कपड़े के पर्दे या कार्ड-बोर्ड कम्पार्टमेंट, सुभेदक चिन्ह की सीलें, केनवास बैग। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109]

स्लाइड 76: MPSV वाले दिन दल में कितने लोग

- आयोग के पत्र 1299 (03.02.2026) के अनुसार BEL की M3A और MK-5 मशीनों में दोनों पदों की कंट्रोल और बैलेट यूनिट अलग-अलग होती हैं, जबकि MPSV में कंट्रोल यूनिट एक ही होती है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288]

स्लाइड 82: इन बातों का ध्यान रखिए (1)

- साभार: मनीष कुमार गोयल, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMT), जयपुर। इन बातों के मिलान में इनकी प्रशिक्षण प्रस्तुति काम में ली गई; स्लाइड की हर बात मार्गदर्शिका, MPSV अनुदेश पुस्तिका या आयोग के आदेश से है।

स्लाइड 84: स्रोत

- अंतिम बात आयोग के आदेशों और नियमों की है। कोई संशय हो, तो अपने रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए।